

38



श्री. पी. नायक एड.

2-17 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

D 542-717

प्रकरण क्रमांक -दो/2017 निगरानी

- 1- सतीश अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद
निवासी बंगला नं. 46 केन्ट झांसी उ०प्र०
- 2- विनोद कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
निवासी 1162 सिविल लायन
झांसी उत्तर प्रदेश
विरुद्ध

---आवेदकगण

- 1- म०प्र०शासन द्वारा
कलेक्टर जिला शिवपुरी
- 2- श्रीमती भगवती पुत्री संग्राम सिंह
पत्नि मलखान सिंह
- 3- सुरेन्द्र पुत्र मादू बरहार
ग्राम जरगवां अब्बल तहसील करैरा
जिला शिवपुरी

---असल अनावेदक

---तरतीवी अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता
1959 - श्रीमान तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी का
प्रकरण क्रमांक 112/2013-14 अ-6 में पारित आवेदक
दिनांक 20-12-2016 के विरुद्ध)

क०पृ०३०--२

3.2.17
G.P. Nayak
Adv.

श्रीमान तहसीलदार (राज.)
श्रीमान तहसीलदार, राज.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./542/दो/2017

जिला शिवपुरी

सतीश आदि विरुद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान - तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	<p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-112/2013-14/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 20/12/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 8/08/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>17/6/19</p>